

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक बाजपुर (उ०सि०नगर)

मैस संचालन हेतु निविदा सूचना

संस्था में संचालित परुष छात्रावास में मैस संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति/जनों से निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति निविदा फार्म/शर्तें संस्था से रुपये 500=00 (पांच सौ रुपये मात्र) नकद देकर अथवा संस्था की वेबसाइट WWW.gpbazpur.in से डाउनलोड कर निविदा शुल्क 500.00 (पांच सौ मात्र) डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं डिमान्ड ड्राफ्ट प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक, बाजपुर के पक्ष में देय होगा। निविदा फार्म दिनांक 07 अगस्त 2023 से दिनांक 14 अगस्त 2023 के मध्य किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक प्राप्त/जमा किये जायेंगे। निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14 अगस्त 2023 की सायं 05 बजे तक होगी। निविदा दिनांक 16 अगस्त 2023 की अपरान्ह 03.00 बजे खोली जायेगी।


(डा० अनिल कुमार सिंह)
प्रधानाचार्य
राजकीय पालीटेक्निक
बाजपुर (उ०सि०नगर)

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, बाजपुर, सुल्तानपुर पट्टी (ऊ०सि० नगर)

निविदा संख्या

/मैस संचालन/ 2023-24

दिनांक

अगस्त 2023

:: टेन्डर ::

निविदा प्रपत्र मूल्य रुपये 500=00 (रुपये पांच सौ मात्र)

निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 14 अगस्त 2023

संस्था के पुरुष छात्रावास में मैस संचालन हेतु मोहर बन्द निविदायेँ आमंत्रित की जाती है। इस विषयक अल्पकालीन निविदा सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के संस्करण में दिनांक 07 अगस्त 2023 को प्रकाशित हो चुकी है।

निविदादाता निविदा भरने से पूर्व सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर ले। बिलम्ब से प्राप्त, अपूर्ण एवं शर्तों के अनुरूप अन्य अभिलेख जमा न होने पर निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी। प्रधानाचार्य को शर्तों में परिवर्तन करने तथा किसी अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा। जो फर्मों को सर्वमान्य होगा। निविदादाताओं हेतु आवश्यक शर्तें एवं निर्देश-

- 1- Technical Bid & Financial Bid को अलग-अलग लिफाफे में सील करके एवं लिफाफे में स्पष्ट शब्दों में Bid का नाम लिख कर दोनों लिफाफों को एक लिफाफे में सील करके जमा करना होगा। फर्म का जी०एस०टी० नम्बर आवश्यक है।
- 2- प्रत्येक लिफाफे पर निविदा की अन्तिम तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 3- लिफाफे पर निविदादाता फर्म का पूर्ण एवं स्पष्ट पता अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 4- निविदा प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, बाजपुर सुल्तानपुर पट्टी (ऊ०सि० नगर) के पते पर दिनांक 07 अगस्त 2023 से दिनांक 14 अगस्त 2023 के मध्य किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा स्वयं/प्रतिनिधि के माध्यम से जमा की जा सकती है।
- 5- निविदा को जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14 अगस्त 2023 को सायं 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
- 6- निविदायेँ दिनांक 16 अगस्त 2023 को अपराह्न 02:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष राजपत्रित अधिकारियों की गठित समिति के द्वारा खोले जायेंगे। निविदादाता स्वयं अथवा निविदादाता द्वारा नामित प्रतिनिधि निविदा खोलते समय चाहें तो उपस्थित रह सकते हैं।
- 7- Technical Bid की अर्हता पूर्ण न होने पर Financial Bid नहीं खोली जायेगी।
- 8- निविदा प्रपत्र के साथ रुपये 5000=00 (रुपये पांच हजार मात्र) का एफ०डी०आर० अथवा एन०एस०सी०/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो कि प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, बाजपुर (ऊ०सि० नगर) के पक्ष में देय होगा जमा करना अनिवार्य होगा।
- 9- जिन फर्मों की निविदायेँ स्वीकार नहीं की जायेगी, उन्हें उनके द्वारा जमा की गयी उक्त धनराशि पंजीकृत डाक द्वारा वापस की जायेगी।
- 10- मैस मैनेजर को मैस चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा उसका यह अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न होना अनिवार्य होगा।
- 11- छात्रावास समिति के सदस्य/छात्रावास की छात्र समिति द्वारा समय समय पर मैस के खाने की कच्ची व पकी सामग्री का निरीक्षण किया जायेगा। स्वीकृत मैन्यू के अनुसार न पाये जाने पर अथवा मैस में भोजन की गुणवत्ता मैन्यू के अनुसार न हान पर मैस समिति के सदस्यों द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर उस दिन के भोजन की डाइट का भुगतान ठेकेदार को नहीं दिया जायेगा, तथा सुधार न होने की स्थिति में मैस तुरन्त बन्द कर दी जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मैस ठेकेदार की होगी।
- 12- मैस मैनेजर द्वारा मैस प्रारम्भ करने की तिथि से शैक्षिक सत्र 2023-24 तक (ग्रीष्मकालीन सेमेस्टर की परीक्षा के अन्तिम दिन) तक मैस निरन्तर चलानी होगी। मैस संचालन एवं बन्द करने हेतु प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।
- 13- मैस मैनेजर एवं मैस के अन्य कर्मचारियों का छात्रों के प्रति व्यवहार नरम होना चाहिए। मैस में साफ-सफाई व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मैस संचालक की होगी।
- 14- मैस का संचालन निर्धारित कक्ष में किया जायेगा। छात्रों हेतु भोजन डोंगे में रखकर टेबिल में रखा जायेगा। छात्र द्वारा अपना भोजन स्वयं थाली में लिया जायेगा। मैस ठेकेदार द्वारा किसी भी छात्र को लाइन में लगाकर भोजन नहीं दिया जायेगा। छात्र को निर्धारित स्थान में ही भोजन खाने की अनुमति होगी। छात्रों को कमरे में भोजन खाने की अनुमति नहीं है।
- 15- मैस में खाने का समय छात्रावास अधीक्षक द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- 16- मैस मैनेजर एवं उनके कर्मचारियों को छात्रावास परिसर में धूम्रपान एवं मद्यपान का सेवन वर्जित होगा।
- 17- छात्रावास अधीक्षक/मैस ठेकेदार एवं छात्रों की सहमति से खाने के मैन्यू में परिवर्तन किया जा सकता है।
- 18- मैस ठेकेदार को छात्र-छात्राओं को निर्धारित समय पर भोजन देना होगा। खाना समय पर न देने पर प्रति मीटिंग 50=00 रुपये (रु० पचास मात्र) का जुर्माना देय होगा।

- 19- मैस में लगे बिजली के उपकरण से छेड़-छाड़ करने की अनुमति नहीं होगी। मैस में प्राप्त किये गये सामान में किसी भी प्रकार की टूट-फूट की पूर्ण जिम्मेदारी मैस मैनेजर की होगी। यदि मैस ठेकेदार द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो मैस तत्काल प्रभाव से बन्द कर दी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मैस ठेकेदार की होगी।
- 20- मैस छात्रावास समिति द्वारा अच्छी परफोरमेन्स होने पर अगले ग्रीष्मकालीन सेमेस्टर में मैस चलाने की अनुमति उसी दरों पर प्रदान की जा सकती है।
- 21- मैस में खाना बनाने हेतु व्यवसायिक मैस कनेक्शन का होना अनिवार्य है। लकड़ी इत्यादि पर खाना बनाना मना है।
- 22- मैस में छात्रों को निर्धारित मैन्सू के अनुसार प्रतिदिन खाना देना होगा।
- 23- मैस में मैस मैनेजर को पंखे/ट्यूबलाईट, गेज, कुर्सी व बर्तनों आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- 24- छात्रों के खाने के बिल के लेनदेन की जिम्मेदारी संस्था की नहीं होगी। संस्था के मैस में जो भी सामान उपलब्ध है वह मैस मैनेजर को उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा मैस समाप्ति के बाद उसी स्थिति में पुनः वापस लिया जायेगा।
- 25- प्रधानाचार्य को किसी भी समय बिना कारण बताये मैस बन्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- 26- मैस चलाने से पूर्व मैस मैनेजर आवश्यक कर्मचारियों की फोटो युक्त पहचान पत्र छात्रावास अधीक्षक को उपलब्ध करायेगे।
- 27- मैस में मैस मैनेजर यह सुनिश्चित करेगा कि छात्रों में झगडा न हो। किसी भी परिस्थिति में मैस ठेकेदार व अन्य कर्मचारी छात्रों से अपशब्दों को प्रयोग नहीं करेंगे। शिकायत मिलने पर मैस तुरन्त बन्द करके सिव्योरिटी जब्त कर ली जायेगी तथा पुलिस कार्यवाही की जायेगी।
- 28- यदि न्यूनतम दरें आने पर भी संस्था समिति/प्रशासन को यह लगता है कि सन्दर्भित ठेकेदार/मैस मैनेजर की छवि पूर्व में धूमिल रही हो और कटु अनुभव रहा हो उसको मैस चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 29- मैस मैनेजर को संस्था में कैन्टीन चलाने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 30- छात्रों द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 26 दिन की डाइट का भुगतान किया जायेगा। उक्त प्रतिबन्ध छात्र-छात्रा के हॉस्टल में प्रवेश के माह, शीतकालीन अवकाश अवधि, अन्तिम माह (ग्रीष्म0/शीत0 सेमे0 परीक्षा) के लिए लागू नहीं होगा।
- 31- मैस में प्रयुक्त होने वाली भोजन सामग्री की गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी चाहिए। यदि मैस में खाना खाने के कारण कोई छात्र बीमार होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मैस ठेकेदार की होगी तथा मैस तत्काल प्रभाव से बन्द कर दी जायेगी एवं पुलिस कार्यवाही की जायेगी।
- 32- मैस ठेकेदार द्वारा मैस में स्वयं का सामान प्रयोग करता है तो मैस ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले सामान की टूट-फूट इत्यादि की जिम्मेदारी संस्था की नहीं होगी।
- 33- किसी भी प्रकार की समस्या होने पर मैस ठेकेदार छात्रावास अधीक्षक को अवगत करायेगा। छात्रावास अधीक्षक के स्तर पर समाधान न होने पर समिति के समक्ष प्रस्तुत होगा, निदान न होने की स्थिति में समस्या प्रधानाचार्य महोदय के समक्ष रखी जायेगी। मैस ठेकेदार को सीधे प्रधानाचार्य के पास जाने व समस्या रखने की अनुमति नहीं होगी।
- 34- मैस मैनेजर को नियमानुसार आयकर/ट्रेडकर/व्यापार कर इत्यादि समय से जमा करना होगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मैस ठेकेदार की होगी।
- 35- मैस मैनेजर छात्रावास अधीक्षक की अनुमति के बिना मैस न चलाने पर एक मीटिंग का आपसे 1000=00 रुपये (रु0 एक हजार मात्र) का जुर्माना वसूल किया जायेगा।
- 36- मैस मैनेजर के पास एफ0एस0एस0ए0आई0 का पंजीकरण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पंजीकरण न होने की दशा में टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
- 37- पुरुष छात्रावास के मैस में सिर्फ पुरुष स्टाफ द्वारा ही कार्य किया जायेगा।
- 38- मैस ठेकेदार द्वारा आधार एवं पेन कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य रूप से जमा की जायेगी।

मैं..... पुत्र श्री..... मैसर्स.....
 शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मुझे उपरोक्त नियम एवं शर्तें मान्य है।

हस्ताक्षर-

नाम एवं पता-

मो0न0-

FORM FOR TECHNICAL OFFER
(To be submitted by tenderer in duplicates)

To,

The Principal,
Govt. Polytechnic,
Bazpur (U.S. Nagar).

REF. Tender No.....Date and Time of opening

1. I/We..... here by certified that we are established mess contractor/
We will supply the items of demanded specification.

क्र०सं०	सामग्री	मात्रा	निविदादाताओं द्वारा सामान की विशिष्टतायें विवरण/प्रयुक्त सामान इत्यादि के सैम्पिल के साथ	समिति द्वारा निर्धारित सामग्री / निविदादाताओं द्वारा आपूर्ति सामग्री की तुलना/कमेंट
1	सुबह का नाश्ता पराठा/रोटी सब्जी मैन्यू के अनुसार चाय 150 ml	04 पराठे 150 ml		
2	लंच 1 रोटी 2 चावल 3 मिक्स सब्जी (मौसमी सब्जी) 4 दाल 5 सलाद (मूली/गाजर/खीरा/प्याज)	भर पेट		
3	सायं की चाय मैन्यू के अनुसार चाय 150 ml	150 ml		
4	डिनर 1 रोटी 2 चावल 3 मिक्स सब्जी (मौसमी सब्जी) 4 दाल 5 सलाद (मूली/गाजर/खीरा/प्याज)	भर पेट		

2. It is here by certified that I/We have understood general condition of tender & thoroughly examined specifications of items.
3. I/We here by offer to supply the items at the price quoted and agree to hold the offer to acceptance for a period of one year.
4. Sample of above quoted items materials is enclosed herewith.
5. I/We enclose herewith earnest money for Rs. 5000=00 (Rs. Five Thousand only) vide FD/NSC/BANK DRAFT No.....Datedin favour of Principal, Govt. Polytechnic, Kashipur (U.S. Nagar) payable at Kashipur.
6. I/We have enclosed photo copy of our registration & TIN No.

Place :
Date :

Signature & Seal of the Tenderer
PAN No.
Registration No. Date